



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221002
CG-DL-E-08082020-221002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942

No. 2352]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SHRAVANA 16, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

का.आ. 2653(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप- हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से ऊपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री के. ए. एस जेन्सिन, सक्षम प्राधिकारी

(आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट संख्या 33, कनका दुर्गा ऑफिसर्स कॉलोनी, गुरुनानक नगर मेन रोड विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: कृष्णा			राज्य: आन्ध्रप्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जी.कोन्डूरु	गड्डामनुगु	40	00	06	50

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओ.आर-ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

S.O. 2653(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. K.A.S Jennyson, Competent Authority (Andhra Pradesh), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, Plot No. 33, Kanaka Durga officer's Colony, Gurunanak Nagar Main Road, Vijayawada -520008 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Krishna			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G.Konduru	Gaddamanugu	40	00	06	50

[F. No. R-11025/(11)/235/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.